



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड,
8-ए बंगाली लाईब्रेरी रोड, देहरादून।

ई-मेल- legalmetuk@gmail.com

दूरभाष नं०. 0135-2741926

पत्रांक 874 / नि०वि०मा०वि० / ई०ओ०डी०बी० / 2020-21

दिनांक 10 दिसम्बर 2020

कार्यालय ज्ञाप

District And State Level Business Reform Action Plan के अन्तर्गत विभाग द्वारा उत्तराखण्ड विधिक माप (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 के नियम 11(4) के अन्तर्गत, निर्गत बाट-माप व तौल यंत्रों के विनिर्माता, विक्रेता व मरम्मतकर्ता लाइसेंसों का ऑनलाइन नवीनीकरण प्रतिवर्ष देय निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर बिना किसी अन्य विधिक औपचारिकता व जांच के किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्तीय वर्ष 2021-22 व पश्चात्वर्ती वर्षों में नवीनीकृत किये जाने वाले लाइसेंस पर लागू होगा।

(प्रताप सिंह शाह)

नियंत्रक,

विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 874 / नि०वि०मा०वि० / ई०ओ०डी०बी०-ज्ञाप / 2020-21 / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्रांक संख्या 1098/XIX-1/20-04/2017 दिनांक 03.12.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, उद्योग निदेशालय, पटेलनगर, देहरादून (नोडल विभाग ई०ओ०डी०बी०)।
3. संयुक्त/उप/सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, गढ़वाल/कुमायूं सम्भाग, उपसम्भाग ऊधमसिंहनगर/नैनीताल/हरिद्वार/देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ/निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त केन्द्र प्रभारी, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड।

(प्रताप सिंह शाह)

नियंत्रक,

विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।